0

## राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा . नि. १५८ - 58 A

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

fava. W.P. 109.3/2016

नस्ती क्र. ि रिक्ट / 2016/14-D

निषय - न्यामासयीन प्रकरण इसांड इक्क्यू पी 1083/2016 द्वारा भी राजेश कुमार पर रिया विरुद्ध म. प्रशासन इसे अन्य में 010 की नियुक्त करेंग ईसंबंध्य में करती र् पूर्व पूण्ठ N-1 पर दिये गर्य अनुमीदन रे आधार पर 014 उनादेश जारी किया गया। प्रतिरक्षण दार्यरा हेतु निस्त विध्य विमाग ने अंग्नित करना 10 (\$) (1) 9102.8.01 नस्ति विकार किराया कार्य भारे हैं। (देवमूबर्ग प्रसाद) संयुक्त संयालामा राज्य शिक्षा केन्द्र, गीपाल JIB IGMI) हाज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा . डब्ल्यू,पी. . 1093/20 स्कूल्डाकिश्ची सिजेरग, तुमध्यप्रचेत्रेरिया

पृष्ठ क्रमांक . . 🖭 . .

विषयः न्यायालयीनं प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 1093 / 2016 द्वारा श्री राजेश कुमीर पटेरिया विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 1093/2016 द्वारा श्री राजेश कुमार पटेरिया विरुद्ध शासन का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला टीकमगढ़ से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, टीकमगढ़ को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश

नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

उठर जा अंबेट्स BRCC की नियुति है। उठर जा कार कारण हम्लाक्षण वर्ष

(des) (mod

आभूम

Amplieso)

10/2 h

(शीलिव्यक्तिमा) प्रापर मिशन संभाजक साज्य शिका केला

राज्य शिवा केन्द्र

8h 03603

। जा का / शार्ड / अतन्ता / न्याचा / 2016 / 1819-20 आंपाल दिनांड 4 है

651 JANIT

451/prof 339/com/2016

## कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./**सतर्कता**/व्याया/२०१६/**/८/** 

आदेश

भोपाल,दिनांक-.....फरवरी 20 i 6 **५** ' 3 *- | 6* 

सिविल प्रकिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं० 5 के आदेश सत्ताईस के वियम स्कूल शिक्षा विभाग म०प्रव शासन, के अधीन तथा कं0एफ-16/517/97/दि०प्र०/२०, दिनांक - 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश को॰ प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्ययक, दीकमगढ़ को न्यायालयीन प्रकरण कर्माक 1093/2016 द्वारा श्री राजेश कुमार पटेरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर मामगीय उच्च न्यायालय जबलपूर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभियचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि ०मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरव्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और यांचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।

समस्त सुर्सेगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- वाद-पत्र/याचिका में उद्यये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जामकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधियक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- 6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित काग्रज पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

(स) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।

7. मामले की तैयारी और संघालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवन्ता की संय अजली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।

10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, सय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानाब्तर आदेश प्राप्त होता है वह अईशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए। 13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति

अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उतरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रकम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(दीप्ति ग्रीह मुकर्जी) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश भोपाल,दिनांक-.....फरवरी २०१६

पृष्टां.कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया./२०१६/1820 प्रतिलिपि:-

। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, .विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3 महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 1093/2016 द्वारा श्री राजेश कुमार पटेरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।

4 जिला परियोजना समन्वयक, टीकमगढ़ की ओर पालनार्थ। कृपया नियम समय में जवाबदावा

प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत कराये।

5 जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

राज्य शिक्षा केन्द्र

0/6

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 140652016

WP/1093/2016

From


Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur



FOR ADM.and I.R. Fixed for 29-02-2016 WP-DA-4 Respondent No. 2

To,

Commissioner Rajya Shiksha Kendra, Sarva Shiksha Abhiyan (ssa), Pustak Bhawan, B-wingh Arrera Hills, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),



Jabalpur 27-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 1093/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Rajesh Kumar Pateriya** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1093/2016** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 29-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Fincl: Copy of Petition

H

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR